है। बहस सुनी गई। न्यायालय में उपस्थित अप्रार्थी यूसुफ की मुख्य पीठासीन अधिकारी द्वारा समझाइश की गई। इसके बाद पक्षकारों ने राजीनामा पेश किया जो पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामा अनुसार प्रार्थिया का प्रा०पत्र 251(A) R.T. Act. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

10-6-16 अप्रार्थीगण यूसुफ वगैरा व प्रार्थी रमजो के प्रा०पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थीगण ने अपने प्रा०पत्र में अंकित किया है कि निर्णय में "कुण्डे की मिट्टी को अप्रार्थीगण जमीन लेवल से 2-3 फीट ऊँचाई तक समतल करा देंगे" गलत लिखा है। राजीनामे में केवल समतल कराना लिखा है, ऊँचाई या नाप नहीं लिखी है। अतः निर्णय के हिस्से में से "जमीन लेविल से 2-3 फिट ऊँचाई तक" शब्द हजफ फरमाया जावे।

प्रार्थिया रमजो की ओर से प्रा०पत्र इस आशय का पेश हुआ है कि कय्यूम वगैरा रास्ते को 2-3 फीट समतल के पाईंट पर आपत्ती जता रहा है, अगर रास्ते की ऊँचाई ज्यादा रहती है तो प्रार्थी के खेत में ट्रेक्टर नहीं पहुंच सकेगा। अतः फैसले में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जावे।

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्रों का अवलोकन किया गया। राजीनामे का व निर्णय का अवलोकन किया गया। दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों को बुलाकर निर्णय पर चर्चा की गई। चर्चा के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो रास्ता दिया गया है उसमें होकर ट्रेक्टर-ट्रोली का आवागमन अवश्य होगा ऐसी स्थिति मे इस न्यायालय के निर्णय दि० 9-5-16 के आदेश वाले पैराग्राफ में लाइन नं० 6 मे अंकित शब्द "जमीन लेबल से 2-3 फीट ऊंचाई" के स्थान पर शब्द "ट्रेक्टर निकल जावे इस सीमा" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उपरोक्तानुसार आदेश में संशोधन किया गया। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार वजीरपुर को भेजी जावे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	